"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2016—ज्येष्ठ 4, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक 69/छ. ग. रा. वि. नि.आ./2016.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 दिनांक 23-03-2016 को अधिसूचित किये हैं.

उक्त विनियम के पैरा-6 (विनियम 11 का प्रतिस्थापन), विनियम 11.2 के अंतिम परन्तुक में कुछ टंकण त्रुटि पाई गई है. अत: इस परन्तुक को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

"परंतु यह भी कि मासिक अनुसूची में वर्ष में केवल दो संशोधन की ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो कि क्रमिक महिनों (Successive-Months) के लिए लागू नहीं होगा."

No. 69/C S E R C/2016. — The Commission has notified Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) (Second Amendment) Regulations, 2016 on 23-03-2016. Certain typographical errors has been identified in para-6 (substitution of regulations 11), last proviso of the regulations 11.2. This proviso should now be read as following :-

"provided further that in a year only two revision in a monthly schedule shall be permitted which should not be for successive month".

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(पी. एन. सिंह)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .